लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 17/2025
जी.सी.एम.एस. सं. 2025/84

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री जयन्तिलाल भट्ट पिता श्री उम्मेदराम भट्ट मु.पो. बडौदिया तह. बागीदौरा जिला बांसवाडा मो.नं. 9784454380	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 30–06–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **22–02–2025** (पोस्टल ऑर्डर नं. 64एफ 479018) पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक **06–06–2025** को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को अपना पक्ष रखने सूचित किया गया।

दिनांक **30–06–2025** को प्रत्यर्थी **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** ने जवाब प्रस्तुत कर अ... ...या कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक/ विस्तृत होने से प्रार्थना पत्र ... नस्ति कर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.25 10:20:31 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

388 द्वारा सूचित कर दिया गया है। अतः अपील निरस्त फरमावे। दिनांक 30.06.2025 को अपीलार्थी उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** के जवाब मनन किया। अपीलार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **22–02–2025** से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई है। चाही गई विस्तृत एवं सूचना आदेश/विशिष्ठि (विवरण) रहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बागीदौरा जिला बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पत्रावली/ आदेश/ पत्र की विशिष्ठयॉ (विवरण) के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करावे। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.25 10:20:31 IST
Reason: SelfAttested